

इंजीनियरिंग विभाग के ट्रेकमैन संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों का अन्तर-रेलवे/मंडल पारस्परिक स्थानान्तरण का निम्न उल्लेखित मामला जिसमें दोनों मंडलों की सहमति प्राप्त है, में सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को विरमित करने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है, विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	अन्तर मंडल पारस्परिक स्थानान्तरण पर दोनों मंडल के कर्मचारियों का विवरण	पत्र संख्या जिसके द्वारा सहमति पत्र जारी किया गया है।
01	श्री राजीव कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/थानाबिहपुर, पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री चन्द्रशेखर कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/तुगलकाबाद, नई दिल्ली मंडल	(i) मंत्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०-ECR-SEEOPERS(TRAN)/31/2021 Comp. No-133975 दिनांक-05.01.2022 (ii) मंत्र(का०)/नई दिल्ली का पत्र सं०-DLIOPERS(GENL)/550/2020 दिनांक-15.12.2021
02	श्री सुभाष यादव, TM-IV अधीन वसेई/पथ/पूर्व/समस्तीपुर/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री अभिलोक कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/बलिया, वाराणसी मंडल	(i) मंत्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०- ECR-SEEOPERS(TRAN)/31/2021 Comp. No-133975 दिनांक-28.12.2021 (ii) मंत्र(का०)/वाराणसी का पत्र सं०-NER-BSBOPers(MUTL)/4/2020 दिनांक-17.11.2021
03	श्री इन्द्रजीत पासवान, TM-IV अधीन वसेई/पथ/सोनपुर/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री उमेश कुमार, TM-II (Reversion on TM-IV) अधीन वसेई/पथ/दक्षिण/कटिहार, कटिहार मंडल	(i) मंत्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०- ECR-SEEOPERS(TRAN)/31/2021 Comp. No-133975 दिनांक-28.09.2021 (ii) मंत्र(का०)/कटिहार का पत्र सं०-E/283/1/EE/Ways/KIR/Pt-XVI दिनांक-13.12.2021
04	श्री सतीश कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/कुर्सेला/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री सुनील कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/जपला (पूर्व), डीडीयू मंडल	(i) मंत्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०- ECR-SEEOPERS(TRAN)/31/2021 Comp. No-133975 दिनांक-28.09.2021 (ii) मंत्र(का०)/डीडीयू का पत्र सं०-स्था०/इंजी०/ट्रेकमैन/अं०रे०पार०स्थानां०/मुगल०/2019-20 दिनांक-30.12.2021

उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को विरमित किये जाने पर वमई(समन्वय)/सोन० महोदय का आदेश प्राप्त है। पारस्परिक स्थानान्तरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेष होगा।

01. उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें जिससे संबंधित मंडल को विरमित किया जा सके।
02. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस० पी० ई०/बिज० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानान्तरण अवकाश देय नहीं होगा।
04. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानान्तरण नहीं लेंगे।
05. वरीयता पारस्परिक स्थानान्तरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(अतुल कुमार)
सकाधि-

कृते मंत्र (का०)/सोनपुर
दिनांक-20.01.2022

सं०-ECR-SEEOPERS(TRAN)/58/2021 Computer No-151626
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वमई(समन्वय) एवं वमविप्र/सोनपुर।
02. मंत्र(कार्मिक)/पूर्व मध्य रेल/डीडीयू, उत्तर रेलवे-नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे-वाराणसी, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे-कटिहार - रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-E(NG)I-2017/TR/24 RBE No.-65/2018 dt-09.05.18 के अनुपालन में अपने अधिनस्त कर्मचारी को डीएआर/एस० पी० ई०/बिज० मामलों से मुक्त होने पर इस कार्यालय को रिपोर्ट करने हेतु विरमित करने की व्यवस्था करें।
03. समस्त वमई/सोनपुर मंडल-उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारी को सत्यापित पहचान के साथ इस कार्यालय में विरमित करें, ताकि संबंधित मंडल में विरमित किया जा सके। विरमित करने से पूर्व कर्मचारी डीएआर/एसपीई/विज० की सजा से मुक्त होना चाहिए।
04. वसेई/पथ/सोनपुर, वसेई/पथ/पूर्व/समस्तीपुर, कुर्सेला एवं थानाबिहपुर।
05. कर्मचारी प्रति। 06. अभिलेख प्रति। 07. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयु अजा-अजजा, ओबीसी ऐश०/सोनपुर।

21/1/22
कृते मंत्र (का०)/सोनपुर